न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना जिला जालोर

(पीठासीन अधिकारी हनुमाना राम आर.ए.एस.)

मुकदमा नंम्बरः–**16 / 2020**

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
1. लाखा पुत्र काछबा 2. रूगनाथ पुत्र लाखा जातियान विश्नोई, नि. के.आर. बंधाकुआ तहसील चितलवाना।	**बनाम**	1. हीराराम पुत्र राजाराम 2. जालाराम पुत्र राजाराम 3. पालू पत्नी रूगनाथ जाति विश्नोई निवासीगण दूठवा 4. कंचनकंवर पत्नी जोगसिंह जाति चारण निवासी हाडेचा 5. आसुराम पुत्र काछबाराम जाति विश्नोई निवासी दूठवा 6. परमेश्वरी पत्नी बाबुलाल जाति जाट निवासी डूंगरी 7. रामजी पुत्र जामा जाति मेगवाल निवासी दूठवा 8. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार चितलवाना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः:–

1. श्री जालाराम पुनिया अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. अप्रार्थीगण एकपक्षिय।

निर्णय

दिनांक 13/07/2023

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपाठित धारा 128 आर.एल.आर.एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि मौजा दूठवा, पटवार हल्का दूठवा में हम प्रार्थीगण के खातेदारी व मालिकाना हकहकुक कब्जाकाश्त के खेत खसरा नम्बर 3221 / 1551 रकबा 0.75 हैक्टर, खसरा नम्बर 1552 रकबा 2. 33 हैक्टर, खसरा नम्बर 1553 रकबा 0.58 हैक्टर कुल रकबा 3.66 हैक्टर के आये हुए है जिसमे 2.20 हैक्टर भूमि प्रार्थी लाखाराम के खातेदारी कब्जाकाश्त की आयी हुई है तथा 1.46 हैक्टर भूमि प्रार्थी रूगनाथ के खातेदारी कब्जाकाश्त की आयी हुई है। उपरोक्त आराजी का हम प्रार्थीगण सदैव लगान अदा करते आ रहे है तथा गिरदावरी हमारे नाम तज्वीज होती आ रही है। हम प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जाकाश्त के उक्त खेत नक्शे में अलग तरमीमसुदा आये हुए है लेकिन उक्त खेतो की माठ को अप्रार्थीगण पड़ौसी खातेदार अपने खेत मे मिलाने की चेष्टा करते रहते है। उक्त खेत की माठ पर वर्षो पुराने खड़े दरखत, बबुल व थोर की माठ को काटकर माठ को तोड़ते रहते है तथा जबरन हमारे खेतो को हड़पना चाहते है। अप्रार्थीगण आये दिन उक्त माठ को लेकर टंटा फसाद करने को उतारू रहते है। जिसमे अप्रार्थीगण के झगड़े टंटे का सामना नही कर सकते। इस हेतु हम प्रार्थीगण ने गांव के मौजूज पंच मुखियानो को इक्टठा कर पंच पंचायती भी करवाई, लेकिन अप्रार्थीगण नही माने तथा अपनी बेजा हरकतो से बाज नही आ रहे है तथा मौका पाकर आये दिन हम प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जाकाश्त के खेत की माठ तोड़कर सीमाए नष्ट करते रहते है। इसका स्थायी हल मात्र खेतो के चारो तरफ की माठे नक्शे मे तरमीम अनुसार स्थायी नेखमबन्दी पत्थर, चीने, दीवार आदि बनाकर ही हो सकता है। अन्य कोई विकल्प नही होने की सूरत में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। दिनांक 19.08. 2020 को अप्रार्थीगण ने हमारे खेतो में सीमा विवाद कर खेत की सीमा अपनी [illegible] अनुसार अवैध रूप से नक्शे से हटकर तय करने लगे। प्रार्थीगण द्वारा विरोध करने पर नही माने, झगड़ा टंटा करने पर उतारू हो गये । ऐसी परिस्थिति में हम प्रार्थीगण की आराजी का स्थायी सीमा निर्माण की नेखमबन्दी करने का विवाद पैदा होने से प्रार्थना पत्र पेश है। अप्रार्थीगण विवाद कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 15:56:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

मौके पर तनाव पैदा करते है। अतः उक्त खेतो की सीमा का स्थाई नेखमबन्दी करने हेतु एवं शांति व्यवस्था हेतु समुचित रूप से पुलिस थाना चितलवाना से पुलिस इमदाद दिलाया जाना आवश्यक है, जिससे मौके पर शांतिपूर्वक खेतो की नेखमबन्दी हो। हम नियमानुसर पथरगड़ी का खर्चा वहन करने हेतु तैयार है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि मौजा दूठवा, पटवार हल्का दूठवा मे हम प्रार्थीगण के खातेदारी व मालिकाना हकहकुक कब्जाकाश्त के खेत खसरा नम्बर 3221/1551 रकबा 0.75 हैक्टर, खसरा नम्बर 1552 रकबा 2.33 हैक्टर, खसरा नम्बर 1553 रकबा 0.58 हैक्टर कुल रकबा 3.66 हैक्टर का प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व नक्शे में तरमीम अनुसार खेतो के चारो ओर स्थायी नेखमबंदी हेतु पत्थरगडी चीणों से करने का आदेश तहसीलदार चितलवाना के नाम जारी फरमाया जाकर उक्त खेत की सीमा की स्थायी नेखमबंदी करवाये जाने का आदेश फरमावे।

1. प्रार्थना पत्र न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये।
2. अप्रार्थीगण के नोटिस रजिस्टर्ड तामिल प्राप्त होने के उपरान्त भी उपस्थित नही एवं जवाब पेश करने के पर्याप्त अवसर देने के बावजूद उपस्थित नही नही होने पर अप्रार्थीगण के विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही अमल मे लाई गई।
3. तहसीलदार चितलवाना से उक्त विवाद आराजी की विस्तृत मौका जांच एवं पैमाईश रिपोर्ट तलब की गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन एवं अवलोकन किया। राजस्व रेकर्ड जमाबंदी एवं नक्शा में तरमीम अनुसार संयुक्त पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः सीमांकन एवं पत्थरगढी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपराक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा दूठवा, पटवार हल्का दूठवा में प्रार्थीगण के खातेदारी व मालिकाना हकहकुक कब्जाकाश्त के खेत खसरा नम्बर 3221/1551 रकबा 0.75 हैक्टर, खसरा नम्बर 1552 रकबा 2.33 हैक्टर, खसरा नम्बर 1553 रकबा 0.58 हैक्टर कुल रकबा 3.66 हैक्टर पर तहसीलदार चितलवाना मौके पर पत्थरगढ़ी/नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट से न्यायालय को अवगत करावें। इस आशय की तहरीर तहसीलदार चितलवाना को जारी हो। पक्षकार खर्चा अपना–अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 13/07/2023 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हनुमाना राम RAS)
उपखण्ड अधिकारी चितलवाना
उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 15:56:34 IST
Reason: SelfAttested